न्यायालय में : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, म०प्र० राजस्व मण्डल
ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

119

प्रस्तुत
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर

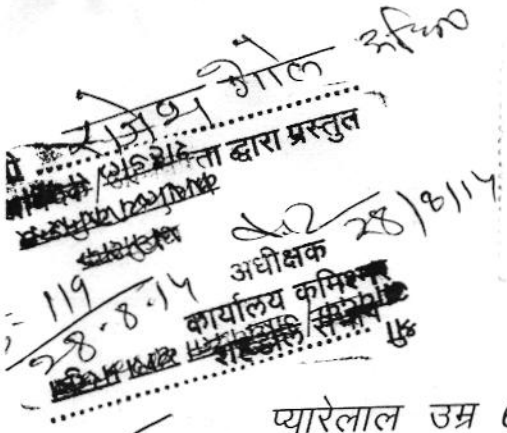

COURT FEE
20 Rs.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES
CANCELLED

R 3602-III/14

प्यारेलाल उम्र 63 वर्ष, पिता स्व0 वृन्दावन बानी, निवासी ग्राम भमरहा, थाना व तहसील मानपुर, जिला उमरिया म.प्र.

..................निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन ....गैरनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर उमरिया के रा.प्र. क्रंमांक 15/स्व.निग./12–13/ आदेश दिनांक 31.07.2014.

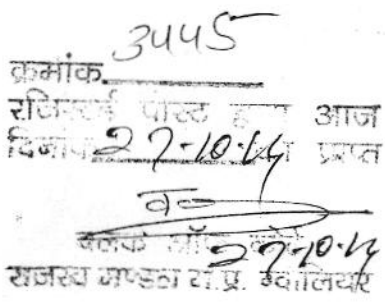

क्रमांक 3445
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 27-10-14 प्राप्त
27-10-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य निम्न हैं :—

यह कि ग्राम भमरहा, तहसील मानपुर, अंतर्गत स्थित आराजी खसरा नंबर 406/6 रकवा 0.405 हेक्टेयर पर निगरानीकर्ता के पिता जीवन पर्यन्त काबिज दाखिल होकर कृषि कार्य कर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। पिता की मृत्यु के पश्चात् निगरानीकर्ता उक्त विवरण की आराजी पर सदैव काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। निगरानीकर्ता के पास उक्त विवरण की आराजी के अलावा अन्य

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3602-तीन/2018 जिला उमरिया प्यारेलाल विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 15/स्व.निग./2012-13 में पारित आदेश दिनांक 31-07-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 27-10-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 7-1-19	